मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 01 मई 2015-वैशाख 11, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता के एल. आई. सी. पोलिसी क्रमांक 200237267 में मेरा नाम मेरी माँ श्रीमती रामदेवी संतवार द्वारा मास्टर प्रवीण संतवार अंकित करा दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रवीण आर्य अंकित है जो कि सही है. अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम प्रवीण आर्य के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रवीण संतवार)

नया नाम :

(प्रवीण आर्य)

पुत्र-श्री ओमप्रकाश

निवासी-सी-50, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(37-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं डॉ. दीपाली माथुर पत्नी श्री बृजेश कुमार शर्मा, निवासी-252, विजयानगर एक्सटेंशन, चेतकपुरी के पीछे ग्वालियर, मध्यप्रदेश यह कि मेरे पुराने पासपोर्ट में मेरा नाम दीपाली शर्मा (DEEPALI SHARMA) अंकित है. जबकि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम दीपाली माथुर (DEEPALI MATHUR)है. जो कि अब मैं अपना नाम श्रीमती दीपाली माथुर (DEEPALI MATHUR) ही रखना चाहती हूँ. अत: मुझे भविष्य में भी श्रीमती दीपाली माथुर के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(दीपाली शर्मा)

नया नाम :

(दीपाली माथुर)

निवासी-252, विजयानगर एक्सटेंशन,

चेतकपुरी के पीछे, ग्वालियर, (म.प्र.).

(38-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भुवनेश्वर कुमार चौरसिया पिता रूपचंद चौरसिया, निवासी रॉयल चौक, जिला छिन्दवाड़ा निम्नलिखित कथन करता हूँ कि-

मैं मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री (परीक्षण) छिन्दवाड़ा कर्यालय में कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन के पद पर कार्यरत हूँ.

मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों एवं नियुक्ति आदेश में भुनेश्वर कुमार चौरसिया अंकित है, परंतु मेरा प्रचलित नाम भुवनेश्वर कुमार चौरसिया मेरे सेवा संबंधी दस्तावेजों, सेवा पुस्तिका, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, आयकर पेन कार्ड आदि सभी में अंकित हैं तथा जन्म से ही भुवनेश्वर कुमार नाम प्रचलन में रहा है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरे ही हैं.

मेरा वर्तमान प्रचलित नाम भुवनेश्वर कुमार चौरसिया (BHUVNESHWAR KUMAR CHOURASIA) है एवं इसी नाम से मुझे जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(भुनेश्वर कुमार चौरसिया)

नया नाम :

(भुवनेश्वर कुमार चौरसिया)
पिता-रूपचंद चौरसिया,
रॉयल चौक, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(41-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे मजहर हुसैन बोहरा ने अपना नाम परिवर्तन कर नया नाम मजहर हुसैन रख लिया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मजहर हुसैन बोहरा)

नया नाम :

(मजहर हुसैन)
निवासी-ए-36, बुरहानी नगर, मन्दसौर (म.प्र.).

(34-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, भूमिका प्रजापति पिता हेमन्त प्रजापति (BHUMIKA HAMENT PRAJAPATI) जो कि मेरा पूर्व में नाम है. मेरा सही नाम भूमिका पिता हेमेन्द्र प्रजापति (BHUMIKA HAMENDRA PRAJAPATI) पढ़ा जाये. जो कि सही है.

पुराना नाम :

(भूमिका प्रजापति)
पिता-हेमन्त प्रजापति

नया नाम :

(भूमिका)
पिता-हेमेन्द्र प्रजापति
202, इन्दिरा नगर, रतलाम (म.प्र.).

(42-बी.)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता का पुराना नाम हरिकंठ है, मुझे किशनलाल के नाम से भी पुकारा और जाना व पहचाना जाता है, मुझ प्रकाशनकर्ता के पिता का नाम श्री चन्दन सिंह है. मेरे राशन-कार्ड और बोटर कार्ड में मेरा नाम किशनलाल अंकित हो गया है, मुझ प्रकाशनकर्ता ने अपना नाम-परिवर्तित कर हरिकंठ किशनलाल बघेल पुत्र श्री चन्दन सिंह बघेल (HARIKANTH KISHANLAL BAGHEL S/o SHRI CHANDAN SINGH BAGHEL) कर लिया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा मेरे समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों में मेरा उपरोक्त परिवर्तित नाम पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हरिकंठ बघेल)

नया नाम :

(हरिकंठ किशनलाल बघेल)
पुत्र-श्री चन्दन सिंह बघेल
131 (ख), बिजली घर के पास, लश्कर, ग्वालियर.

(44-बी.)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता का नाम श्रीमती चन्द्रा भागचन्दानी (SMT. CHANDRA BHAGCHANDANI) पत्नी स्व. श्री राजकुमार भागचन्दानी है. यही नाम मेरे समस्त रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों में अंकित है. मुझे श्रीमती भावना भागचन्दानी (SMT. BHAVNA BHAGCHANDANI)

के नाम से भी जाना जाता था. अब भविष्य में मुझ प्रकाशनकर्ता ने अपना नाम श्रीमती चन्द्रा भागचन्दानी (SMT. CHANDRA BHAGCHANDANI) पत्नी स्व. श्री राजकुमार भागचन्दानी ही रख लिया है, अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा मेरे समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती चन्द्रा भागचन्दानी (SMT. CHANDRA BHAGCHANDANI) पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(भावना भागचन्दानी)
(BHAVNA BHAGCHANDANI)

नया नाम :
(चन्द्रा भागचन्दानी)
(CHANDRA BHAGCHANDANI)
निवासी--57/209, भारतीयम् स्कूल कम्पाउण्ड, यादव कॉलोनी, कटोराताल रोड़, लश्कर, ग्वालियर.

(45--बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स श्री गणेश इन्टरप्राइजेज, पता 38, टी. एस. नवलखा, इन्दौर से हमारे पार्टनर श्री पवन नारंग पिता श्री महेन्द्र नारंग, निवासी-G- 8 गोल्ड कोईन प्लाजा टावर चौराहा, इन्दौर दिनांक 16 जनवरी, 2015 को निवृत (Retire) हो चुके हैं. अत: वर्तमान में जो पार्टनर कार्यरत हैं उनके नाम श्री मनोज नरेडी पिता श्री धन्नालाल नरेडी, 2. श्री विनोद पटेल पिता श्री नानजी भाई पटेल एवं 3. श्री अजय बंसल पिता बाबुलाल बंसल है. अत: भविष्य में श्री पवन नारंग का हमारी फर्म से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं रहेगा.

For :- Shri Ganesh Enterprises,
विनोद पटेल
(Partner).

(35--बी.)

आम सूचना

सर्व--साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स माइक्रो इनफॉरमेटिक्स (रजिस्टर क्र. 05/22/03/00041/10) गुढ़ रोड, हनुमान नगर, रीवा (म.प्र.) में से दिनांक 01/02/2015 को फर्म की पार्टनर श्रीमती सविता पाण्डेय पत्नी श्री दिनेश कुमार पाण्डेय को पृथक किया जाता है तथा उनके स्थान पर दिनांक 01/02/2015 को श्रीमती अंकिता पाण्डेय पत्नी श्री अंशुमान पाण्डेय को बतौर पार्टनर फर्म में शामिल किया जाता है. फर्म के पार्टनर श्री अंशुमान पाण्डेय पिता श्री दिनेश कुमार पाण्डेय पूर्ववत् फर्म में कार्यरत रहेंगे.

भवदीय
अशुंमान पाण्डेय
(पार्टनर)
मे. माइक्रो इनफारमेटिक्स,
गुढ़ रोड़, हनुमान नगर, रीवां (म.प्र.).

(36--बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to infrom that M/s Seoni Property Promoters, having office at C/o Vijay Kumar Surana Nehru Chowk Main Road, Waraseoni, Disst-Balaghat (M.P.), a partnership firm incorporated on 14/02/2011, having Ten Partners as Shri Lalit Kumar Chopda, Shri Sanjay Kumar Chopda, Shri Manoj Kumar Chopda, Shri Raj Kumar Chopda, Smt. Pramila Chopda, Shri Nitin Chopda, Shri Vijay Kumar Surana, Shri Sandeep Kumar Surana, Shri Navin Kumar Surana & Shri Vishal Kumar Surana on 01/04/2013, Shri Nitin Chopda retired as a partner from the firm. Now the Nine partners of the firm are Shri Lalit Kumar Chopda, Shri Sanjay Kumar Chopda, Shri Manoj Kumar Chopda, Shri Raj Kumar Chopda, Smt. Pramila Chopda, Shri Vijay Kumar Surana, Shri Sandeep Kumar Surana, Shri Navin Kuamr Surana & Shri Vishal Kumar Surana. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For :- Seoni Property Promoters
NAVIN KUMAR SURANA
(Partner).

(39-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स अहमद हाजी कासम एण्ड सन्स फर्म जिसका पता शॉप नम्बर--13, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00155/14, दिनांक 28 अगस्त, 2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री मोहम्मद अहमद पिता श्री मोहम्मद आरिफ एवं 2. श्री राजेश कुमार पिता श्री गोरधनदास डेमला थे. दिनांक 15 मार्च, 2015 से

1. श्रीमती सुमन पति श्री राजेश डेमला भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं 1. श्री मोहम्मद अहमद पिता श्री मोहम्मद आरिफ उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म मेसर्स अहमद हाजी कासम एण्ड सन्स से कोई लेना-देना नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स अहमद हाजी कासम एण्ड सन्स

1. श्री राजेश कुमार पिता श्री गोरधनदास डेमला,

2. श्रीमती सुमन पति श्री राजेश डेमला

(भागीदार).

(40-बी.)

NOTICE

Notice is Hereby given that w. e. f. 01/04/2015. The name of our Firm " Madhya Pradesh Transformers " has been changed to M/s Mehi Power Transformers and our principal place of business 115/A-1, Industrial Estate, Pologround, Indore has been changed to 74-71/J, Industrial Estate, Pologround, Indore.

For - Madhya Pradesh Transformers,

RUPESH PATEL

(Partner).

(43-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास रहली, जिला सागर

रा. प्र. क्र. /बी-113 वर्ष 2013-14.

रहली, दिनांक 16 जनवरी, 2014

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक माखनलाल सराफ एवं अन्य, निवासी रहली, तहसील रहली, जिला सागर द्वारा एक आवेदन-पत्र धारा-4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर श्री दानीलाल धर्माथ न्यास, वार्ड नम्बर 13 रहली, तहसील रहली, जिला सागर की न्यास कमेटी के गठन किए जाने बावत् प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25-02-2014 को दिन को 11.00 बजे नियत की गई है. उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वह नियत दिनांक व समय पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्यांद गुजरने किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

1.	लोक न्यास का नाम	:	श्री दानीलाल धर्माथ न्यास, वार्ड नम्बर 13 रहली, तहसील रहली, जिला सागर (म. प्र.).
2.	लोक न्यास का स्वरूप उत्पत्ति एवं उद्देश्य	:	श्री दानीलाल धर्माथ न्यास, वार्ड नम्बर 13 रहली, तहसील रहली, जिला सागर (म. प्र.) सामाजिक सुधार एवं धार्मिक उद्देश्य.
3.	वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्या. या कारोबार का प्रधान स्थान पारित है.	:	वार्ड नम्बर 13 रहली, खास तहसील रहली, जिला सागर (म. प्र.)
4.	कार्यावाही न्यासी और प्रबंधक का नाम उनके पते सहित.	:	श्री माखनलाल सराफ आत्मज स्व. श्री दानीलाल सराफ अध्यक्ष मुख्य न्यासी वार्ड नम्बर 7 रहली, तहसील रहली, जिला सागर, मुख्य कार्यकारी न्यासी/अध्यक्ष.

1. श्री सुरेश कुमार आत्मज शोभालाल कुर्मी, ग्राम रजवास, तहसील रहली-उपाध्यक्ष.
2. श्रीमती किरण पति अशोक कुमार गुप्ता, पुत्री माखनलाल सराफ तहसील रहली-कोषाध्यक्ष.
3. श्री उमाशंकर आत्मज स्व. श्री विष्णु सराफ, तहसील रहली-सचिव.
4. श्री दीपक कुमार आत्मज रतनलाल ददरया, तहसील रहली-सदस्य.

5.	न्यासीपद या व्यवस्थापन पद के उत्तराधिकार की रीति.	:	चुनाव द्वारा जिसमें मेरे परिवार का एक सदस्य न्यास में उत्तराधिकारी के रूप में रहेगा.
6.	न्यास से संबंधित योजना कोई हो तो विवरण प्रकिया संलग्न करें.	:	धार्मिक उद्देश्य.
7.	सम्पत्ति का विवरण	:	मकान मौजा रहली प.ह.नं. 20 तहसील रहली स्थित भूमिस्वामी भूमि. ख.न. रकवा हे. मे. 422/9 0.019 आरे.
8.	न्यास की आय का साधन	:	दान द्वारा (भवन से प्राप्त राशि) सहयोग द्वारा.
9.	कुल वार्षिक आय	:	कुछ नहीं.
10.	न्यास की सम्पत्ति पर ऋण का भार.	:	कुछ नहीं.

उद्घोषणा आज दिनांक 16 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(248)

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर, जिला शाजापुर

प्र. क्र. /बी-113/2014-15.

प्रारूप-पांच

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष-पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

आवेदक देवेन्द्र जैन अध्यक्ष, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र अकोदिया, निवासी अकोदिया, तहसील शुजालपुर के द्वारा 1008 चमत्कारी अतिशय क्षेत्र धार्मिक एवं पारमर्थिक न्यास अकोदिया का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-2 की उप-धारा (4) के अभिप्राय के लिये पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 20 मई, 2015 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अन्दर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1.	न्यास का मुख्यालय	:	अकोदिया, तहसील-शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश.
2.	कार्यक्षेत्र	:	अकोदिया, तहसील-शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश.
3.	न्यास का उद्देश्य	:	धार्मिक एवं पारमार्थिक.
4.	न्यास के आय के साधन	:	दान, बोली, चढावा आदि.
			(चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है)
	चल सम्पत्ति	:	निरंक.
	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

हिन्दूसिंह चुण्डावत,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(253)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2015/671, उज्जैन, दिनांक 09 मार्च, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विधाता साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	65/03-09-2003	671/09-03-2015
2.	भविष्य निधि साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	16/27-11-2001	671/09-03-2015
3.	मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	50/14-05-2003	671/09-03-2015
4.	शिवशक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	112/25-05-2009	671/09-03-2015
5.	धनवर्षा परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	118/03-10-2009	671/09-03-2015

अत: मैं, सी. एस. आसोड़िया, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

सी. एस. आसोड़िया,

(250) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री वैभव गुप्ता S/o श्री मिजाजी लाल गुप्ता (अध्यक्ष),

श्री सिद्धेश्वर बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति

मर्या., राजनगर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.

3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.

5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.

6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.

8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमती प्रतिभा यादव W/o श्री डी. एस. यादव (अध्यक्ष),

परतीत खाद बीज महिला विपणन सहकारिता खजुराहो,

मुख्यालय राजनगर, वार्ड क्र. 6, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.

3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.

5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.

6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.

8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी

संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री अरविंद प्रताप सिंह S/o श्री भानुप्रताप सिंह (अध्यक्ष),

शिवशंकर फल-फूल, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सैरौरा,

ग्राम-सैरोरा, पो. खरदूती, तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.
8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री प्रीतमसिंह यादव S/o श्री भुमानी सिंह यादव (अध्यक्ष),

तारादेवी किसान क्रय-विक्रय, बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन

सहकारी समिति मर्या., बिलहरी, पो. नोगाँव, तहसील नोगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय

में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.
8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा S/o श्री गोपी चरण मिश्रा (अध्यक्ष),

माँ शारदा क्रय-विक्रय, बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति

मर्या., बारीगढ़, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.
8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री दिनेश इन्दु प्रताप शुक्ला S/o श्री सरस्वती प्रताप शुक्ला (अध्यक्ष),

खजुराहो बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारिता मर्या., चन्द्रपुरा,

तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.
8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

छतरपुर, दिनांक 22 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री सुखदीन असाटी S/o श्री खुशीचंद असाटी (अध्यक्ष),

श्री सांई बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., करी,

पो. सड़वा, तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.).

क्र./विधि./2014/818.—इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक

सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.
8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

छतरपुर, दिनांक 22 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री माया प्रसाद अग्रवाल S/o श्री अमृत लाल अग्रवाल (अध्यक्ष),

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., गंज मु. पो. गंज,

तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

क्र./विधि./2014/819.—इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.

8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव S/o श्री सुन्दर लाल यादव (अध्यक्ष),

श्री कृष्णा बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रजपुरा,

ब्लॉक बड़ामलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.).

क्र./विधि./2014/820.—इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.

3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.

5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.

6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.

8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(251-H)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय चम्बल मत्स्यपालन सहकारी समिति मर्या.,

ऊनी, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय चम्बल मत्स्यपालन सहकारी समिति मर्या., ऊनी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज़ारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

वाल्मिकी मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

विरियाखेड़ी, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाल्मिकी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., विरियाखेड़ी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-A)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय महादेव मत्स्यउद्योग सहकारी समिति मर्या.,

दमेलपाड़ा, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय महादेव मत्स्यउद्योग सहकारी समिति मर्या., दमेलपाड़ा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-B)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय बजरंगबली मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

ताल, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय बजरंगबली मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., ताल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-C)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सोनिया रेडीमेड सिलाई सहकारी संस्था मर्या.,

रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनिया रेडीमेड सिलाई सहकारी संस्था मर्या., रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-D)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

आदिवासी महिला हस्तशिल्प सहकारी संस्था

मर्या., रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी महिला हस्तशिल्प सहकारी संस्था मर्या., रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-E)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

महावीर पापड़ बडी सहकारी संस्था मर्या.,

जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर पापड़ बडी सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-F)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

माही बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,

रावटी, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माही बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रावटी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-G)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

माँ कालका बहुउद्देशीय सहकारी संस्था

मर्या., गड़ावदिया, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ कालका बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गड़ावदिया, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-H)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,

ओझाखाली, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ओझाखाली, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-I)

रतलाम, दिनांक 4 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सांई नाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.,

रतलाम (म.प्र.).

क्र./परि./2013/540.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांई नाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रतलाम, मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-J)

रतलाम, दिनांक 4 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सहयोग गृहनिर्माण सहकारी समिति

मर्या., रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहयोग गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्या., रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-K)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति

मर्या., ईमलीपाड़ा, रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., ईमलीपाड़ा, रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-L)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति

मर्या., नवाबगंज, रतलाम (म.प्र.).

क्र./परि./2013/545.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., नवाबगंज, रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-M)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति

मर्या., चावड़ा खेडी, रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., चावड़ा खेडी, रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-N)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति

मर्या., बडीनाल, रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., बडीनाल, रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-O)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति

मर्या., खारी, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., खारी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-P)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति

मर्या., सबलगढ़, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., सबलगढ़, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-Q)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति
मर्या., लाम्बाखेड़ी, जिला रतलाम (म.प्र.).

क्र./परि./2013/549.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., लाम्बाखेड़ी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-R)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति
मर्या., बरपट्टी का माल, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजिविका विकास सहकारी समिति मर्या., बरपट्टी का माल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-S)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

शासकीय कर्मचारी सहकारी साख संस्था

मर्या., सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., सैलाना, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-T)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जनता साख सहकारी संस्था मर्या.,

जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.).

क्र./परि./2013/551.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-U)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

अर्द्धशासकीय शिक्षक कर्मचारी साख
सहकारी संस्था मर्या., रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्द्धशासकीय शिक्षक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-V)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जनता साख सहकारी संस्था मर्या.,
रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता साख सहकारी संस्था मर्या., रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-W)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

डॉ. राधाकृष्णनन शिक्षक साख सहकारी
संस्था मर्या., रिंगनोद, जिला रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राधाकृष्णनन शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-X)

रतलाम, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

महिला स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था
मर्या., रतलाम (म.प्र.).

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत् की गई सम्परीक्षा में सोसायटी को अकार्यशील पाया जाकर डी-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

सोसायटी के डी-वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था मर्या., रतलाम मध्यप्रदेश को धारा-69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील हो जाने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(252-Y)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 01 मई 2015-वैशाख 11, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य बुरहानपुर, विदिशा, रायसेन जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है:-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, कुरवाई, गुलाबगंज (विदिशा), रायसेन (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, अनूपपुर, उमरिया, सीहोर, जबलपुर में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर, सिवनी में फसल गेहूँ व कटनी में गेहूँ, मटर व आगर में चना, राई-सरसों व श्योपुर, ग्वालियर, सागर, उमरिया, खरगौन, सीहोर, जबलपुर व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना व बुरहानपुर में कपास की चुनाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		सरसों, अलसी सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) राई-सरसों, मटर अधिक. गेहूँ, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) जौ, राई-सरसों प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर,गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ कम. चना, मसूर, अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. रामतिल, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन, गेहूँ कम. तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. चना, राई-सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का अधिक. चना, तुअर, कपास कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .		(2) . .		
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर, गेहूं, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	4.0	चालू है.	4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	2.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	5.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	3.6				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	4.0				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तुअर, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	1.0		4. (1) गेंहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
***जिला होशंगाबाद :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, तुअर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.—जिला भिण्ड, रीवा, शहडोल, देवास, बड़वानी, राजगढ़, होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(247)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.